

2) फोटो स्टेट हेतु नियम व शर्तः-

- 1 वर्ष 2023–24 की बोली की उच्चतम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि उपरांत प्राप्त राशि वर्ष 2024–25 की बोली के लिए रिजर्व मूल्य रहेगा जो निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष 2023–2024 की उच्चतम बोली राशि	10 प्रतिशत की वृद्धि	10 प्रतिशत की वृद्धि पश्चात वर्ष 2024–2025 की बोली का रिजर्व प्राईस
1,30,000/- (दुकान नं० १)	13,000/-	1,43,000/-
1,15,000/- (दुकान नं० २)	11,500/-	1,26,500/-

- 2 बोलीदाता को बोली से पूर्व डी.डी. के माध्यम से 20,000/-रु० की राशि जो कि इंडियन रैड कास सोसायटी, नारनौल शाखा के नाम देय होगा। डी.डी. बोलीदाता द्वारा स्वयं के नाम से जारी करवाया जाएगा। रैड कास कार्यालय में दिनांक 28–01–2025 तक सायः 05:00 बजे तक जमा करवानी होगी। इस ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता द्वारा 1180/-रुपए की फीस राशि Society For IT Initiative Fund For E-Governance, Chandigarh के नाम डी.डी. के माध्यम से रैड कास कार्यालय में दिनांक 28–01–2025 तक सायः 05:00 बजे तक जमा करवानी होगी। यह राशि Non Refundable होगी।
- 3 सफल बोलीदाता को माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा उक्त के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने उपरान्त बोली की सम्पूर्ण राशि 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त सहित 3 दिनों (72 घण्टे) के अन्दर–अन्दर (बैंक/कार्यालय अवकाश को छोड़कर) डी.डी. या नकद रूप में एक मुश्त राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। तथा उससे निचले बोलीदाता को प्रथम बोलीदाता द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली पर ही यदि वह लेने को सहमत हो तो सहमति पत्र के आधार पर ठेका दिया जाएगा। द्वितीय नं० के बोलीदाता को बोली की समस्त राशि रैड कास कार्यालय द्वारा पत्र जारी उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर (बैंक/कार्यालय अवकाश को छोड़कर) नकद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। उपरोक्त अनुसार प्रथम या द्वितीय जो भी बोलीदाता सफल रूप से राशि जमा करवाता है तो उसकी जमा करवाई गई धरोहर/सिक्योरिटी राशि को उसकी कुल राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 4 फोटो स्टेट के लिए 2/-रु० प्रतिकोपी तथा लिंगल पेज के लिए 5/-रु० (Including GST) प्रतिकोपी के हिसाब से राशि प्राप्त करनी होगी।
- 5 नीलामी अधिकारी को बिना कोई कारण बताएं बोली को रद्द करने का पूर्ण हक होगा।
- 6 ठेकेदार को बिजली, पानी का अलग से सबमीटर लगवाना होगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से प्रति तिमाही बिल भरना होगा। साथ ही ठेकेदार जरनेटर से बिजली प्रयोग नहीं करेगा अन्यथा ठेकेदार को बिजली व पानी का कनैक्शन स्वयं लेना होगा तथा समयबद्ध बिजली व पानी के बिल की अदायगी करना सुनिश्चित करना होगा।
- 7 फोटो स्टेट का ठेका उपायुक्त एवं प्रधान महोदय से प्राप्त स्वीकृति पश्चात ही मान्य होगा।
- 8 सभी बोलीदाताओं को पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की प्रति व पंजीकृत व्यान हल्किया की उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई केस विचाराधीन है और ना ही कोई एफ.आई.आर. दर्ज है, की प्रति ई–ऑक्शन की वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी तथा सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि जमा करवाते समय आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रति भी जमा करवानी होगी।
- 9 नीलामी अधिकारी को किसी भी समय इन दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 10 सरकार द्वारा किसी भी समय पोलिसी बदलाव से होने वाले लाभ व हानि कि पूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। संस्था द्वारा इसमें किसी प्रकार की राशि को जोड़ा व घटाया नहीं जाएगा।
- 11 किसी भी बोली में सर्वाधिक बोलीदाता द्वारा निश्चित समय में राशि जमा नहीं करने पर दूसरे नं० के बोलीदाता के नाम बोली छोड़ दी जायेगी, जिसे भी उपरोक्त नियम अनुसार ही राशि जमा करनी होगी।

Balwan 26

- यदि उसके द्वारा भी समय पर राशि जमा नहीं करने पर उसकी धरोहर राशि भी जब्त करके पुनः बोली की जायेगी।
- 12 ठेकेदार को व्यान हत्तिया देना होगा कि उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई किमिनल केस विचाराधीन नहीं है। साथ ही उसके विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है।
 - 13 सफल बोलीदाता को रैड कास के साथ अनुबंध करना होगा।
 - 14 यदि सफल बोलीदाता/ठेकेदार की वजह से किसी भी कारण से अनुबंध रद्द होता है तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी जो किसी भी सूरत में वापिस देय नहीं होगी। साथ ही यदि ठेकेदार कार्य अवधि पूर्ण होने से पूर्व कार्य छोड़ता है तो भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी जो किसी भी सूरत में वापिस देय नहीं होगी।
 - 15 जिला रैड कास सोसायटी, नारनौल को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए 15 दिनों के नोटिस पर ठेकेदार से अनुबंध रद्द/दुकान व कार्य बंद करवा सकती है।
 - 16 सफल बोलीदाता को शपथ पत्र देना होगा कि सम्बन्धित कार्य वह स्वयं करेगा तथा किसी अन्य को सबलेट नहीं करेगा और यदि इसकी पालना नहीं की जाती है तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध रद्द की दिया जायेगा।
 - 17 किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिती में कार्य बन्द होने पर कोई ना ही छुट दी जाएगी और ना ही जमा राशि रिफ़ॅड की जाएगी।
 - 18 जिला प्रशासन एंव रैड कास सोसायटी, नारनौल को दुकान/खोखे इत्यादि का किसी भी समय स्थान बदलने का अधिकार होगा।
 - 19 बोलीदाता को बोली न्यूनतम 1000/-रुपए बढ़ाकर बोली लगानी होगी।
 - 20 आनेलाईन बोली दिनांक 30-01-2025 को प्रातः 10:00 बजे शुरू होगी व सायः 03:00 बजे तक चलेगी। अगर आखिरी 5 मिनट में बोली लग जाती है तो बोली का समय 10 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
 - 21 अन्य शर्तें नीलामी अधिकारी की आज्ञा अनुसार।
 - 22 माननीय उपायुक्त एंव प्रधान महोदय, जिला रैड कास सोसायटी, नारनौल को किसी भी समय अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए उपरोक्त शर्तों में बदलाव कर सकते हैं तथा बोली भी रद्द कर सकते हैं।

Balwan Singh
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Narnaul

3) कैन्टीन हेतु नियम व शर्तः—


- 1 वर्ष 2023–24 की बोली की उच्चतम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि उपरात प्राप्त राशि वर्ष 2024–25 की बोली के लिए रिजव मूल्य रहेगा जो निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष 2023–2024 की उच्चतम बोली राशि	10 प्रतिशत की वृद्धि	10 प्रतिशत की वृद्धि पश्चात वर्ष 2024–2025 की बोली का रिजव प्राईस
1,85,000/-	18,500/-	2,03,500/-

- 2 बोलीदाता को बोली से पूर्व डी.डी. के माध्यम से 20,000/-रु० की राशि जो कि इंडियन रैड कास सोसायटी, नारनील शाखा के नाम देय होगा। डी.डी. बोलीदाता द्वारा स्वयं के नाम से जारी करवाया जाएगा। रैड कास कार्यालय में दिनांक 28–01–2025 तक सायः 05:00 बजे तक जमा करवानी होगी। इस ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता द्वारा 1180/-रुपए की फीस राशि Society For IT Initiative Fund For E-Governance, Chandigarh के नाम डी.डी. के माध्यम से रैड कास कार्यालय में दिनांक 28–01–2025 तक सायः 05:00 बजे तक जमा करवानी होगी। यह राशि Non Refundable होगी।
- 3 सफल बोलीदाता को माननीय उपायुक्त एंव प्रधान महोदय द्वारा उक्त के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने उपरान्त बोली की सम्पूर्ण राशि 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त सहित 3 दिनों (72 घण्टों) के अन्दर–अन्दर (बैंक/कार्यालय अवकाश को छोड़कर) डी.डी. या नकद रूप में एक मुश्त राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। तथा उससे निचले बोलीदाता को प्रथम बोलीदाता द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली पर ही यदि वह लेने को सहमत हो तो सहमति पत्र के आधार पर ठेका दिया जाएगा। द्वितीय नं० के बोलीदाता को बोली की समस्त राशि रैड कास कार्यालय द्वारा पत्र जारी उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर (बैंक/कार्यालय अवकाश को छोड़कर) नकद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। उपरोक्त अनुसार प्रथम या द्वितीय जो भी बोलीदाता सफल रूप से राशि जमा करवाता है तो उसकी जमा करवाई गई धरोहर/सिक्योरिटी राशि को उसकी कुल राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 4 जलपान (कैन्टिन) में मादक प्रदार्थ रखने की अनुमति नहीं होगी तथा मादक प्रदार्थ पाये जाने पर राशि जब्त करते हुये ठेका कैन्सिल कर दिया जायेगा।
- 5 जलपान (कैन्टिन) में उपलब्ध खाद्य सामग्री तथा पेय प्रदार्थ की रेट लिस्ट बोली कमेटी (उपमण्डल अधिकारी (ना.) महेन्द्रगढ़, सचिव रैड कास, तहसीदार/नायब तहसीलदार, उप अधीक्षक कार्यालय, उपमण्डल अधिकारी (ना.) महेन्द्रगढ़) से स्वीकृत करवाकर कैन्टीन परिसर में 3x6 के बोर्ड पर लगवानी होगी। स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की सूचि विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करवाई जानी होगी। स्वीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तु बेचने पर सक्षम अधिकारी को वह वस्तु जब्त करने व ठेकेदार का अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।
- 6 नीलामी अधिकारी को बिना कोई कारण बताएं बोली को रद्द करने का पूर्ण हक होगा।
- 7 ठेकेदार को बिजली, पानी का अलग से सबमीटर लगवाना होगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से प्रति तिमाही बिल भरना होगा। साथ ही ठेकेदार जरनेटर से बिजली प्रयोग नहीं करेगा अन्यथा ठेकेदार को बिजली व पानी का कनैक्शन स्वयं लेना होगा तथा समयबद्ध बिजली व पानी के बिल की अदायगी करना सुनिश्चित करना होगा।
- 8 कैन्टीन का ठेका उपायुक्त एंव प्रधान महोदया से प्राप्त स्वीकृति पश्चात ही मान्य होगा।
- 9 सभी बोलीदाताओं को पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की प्रति व पंजीकृत व्यान हल्फिया की उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई केस विचाराधीन है और ना ही कोई एफ.आई.आर. दर्ज है, की प्रति ई–ऑक्शन की वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी तथा सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि जमा करवाते समय आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रति भी जमा करवानी होगी।
- 10 नीलामी अधिकारी को किसी भी समय कैन्टीन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

Balwan 24

- 11 सरकार द्वारा किसी भी समय पोलिसी बदलाव से होने वाले लाभ व हानि कि पूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। संस्था द्वारा इसमें किसी प्रकार की राशि को जोड़ा व घटाया नहीं जाएगा।
- 12 सफल बोलीदाता को रैड कास के साथ अनुबंध करना होगा।
- 13 यदि सफल बोलीदाता /ठेकेदार की वजह से किसी भी कारण से अनुबंध रद्द होता है तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी जो किसी भी सूरत में वापिस देय नहीं होगी। साथ ही यदि ठेकेदार कार्य अवधि पूर्ण होने से पूर्व कार्य छोड़ता है तो भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी जो किसी भी सूरत में वापिस देय नहीं होगी।
- 14 जिला रैड कास सोसायटी, नारनौल को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए 15 दिनों के नोटिस पर ठेकेदार से अनुबंध रद्द/दुकान व कार्य बंद करवा सकती है।
- 15 सफल बोलीदाता को शपथ पत्र देना होगा कि सम्बन्धित कार्य वह स्वयं करेगा तथा किसी अन्य को सबलेट नहीं करेगा और यदि इसकी पालना नहीं की जाती है तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा।
- 16 किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिती में कार्य बन्द होने पर कोई ना ही छुट दी जाएगी और ना ही जमा राशि रिफ़ॅड की जाएगी।
- 17 अधिकृत अधिकारी को किसी भी वस्तु/आईटम का सैम्प्ल लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 18 जिला प्रशासन एंव रैड कास सोसायटी, नारनौल को कैन्टीन का किसी भी समय स्थान बदलने का अधिकार होगा।
- 19 बोलीदाता को बोली न्यूनतम 2,000/-रुपए बढ़ाकर बोली लगानी होगी।
- 20 आनेलाईन बोली दिनांक 30-01-2025 को प्रातः 10:00 बजे शुरू होगी व सायः 03:00 बजे तक चलेगी। अगर आखिरी 5 मिनट में बोली लग जाती है तो बोली का समय 10 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
- 21 अन्य शर्तों नीलामी अधिकारी की आज्ञा अनुसार।
- 22 माननीय उपायुक्त एंव प्रधान महोदय, जिला रैड कास सोसायटी, नारनौल को किसी भी समय अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए उपरोक्त शर्तों में बदलाव कर सकते हैं तथा बोली भी रद्द कर सकते हैं।


 Secretary
 Indian Red Cross Society
 Distt. Branch Narnaul

उप-मण्डल परिसर में कैन्टीन, फोटोस्टेट एंव वाहन पार्किंग का ठेका ई-आक्षण के माध्यम से दिए जाने के लिए नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1) रैड कॉस पार्किंग हेतु नियम व शर्तें:-

- 1 वर्ष 2023-24 की बोली की उच्चतम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि उपरांत प्राप्त राशि वर्ष 2024-25 की बोली के लिए रिंजव मूल्य रहेगा जो निम्न प्रकार से हैं:-

वर्ष 2023-2024 की उच्चतम बोली राशि	10 प्रतिशत की वृद्धि	10 प्रतिशत की वृद्धि पश्चात वर्ष 2024-2025 की बोली का रिंजव प्राईस
5,50,000/-	55,000/-	6,05,000/-

- 2 बोलीदाता को बोली से पूर्व डी.डी. के माध्यम से 1,00,000/-रु0 की राशि जो कि इंडियन रैड कास सोसायटी, नारनौल शाखा के नाम देय होगा। डी.डी. बोलीदाता द्वारा स्वयं के नाम से जारी करवाया जाएगा। इस ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता द्वारा 1180/-रुपए की फीस राशि Society For IT Initiative Fund For E-Governance, Chandigarh के नाम डी.डी. के माध्यम से रैड कास कार्यालय में दिनांक 28-01-2025 तक सायः 05:00 बजे तक जमा करवानी होगी। यह राशि Non Refundable होगी।
- 3 सफल बोलीदाता को माननीया उपायुक्त एंव प्रधान महोदय द्वारा उक्त के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने उपरान्त बोली की सम्पूर्ण राशि 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त सहित 3 दिनों (72 घण्टों) के अन्दर-अन्दर (बैंक/कार्यालय अवकाश को छोड़कर) डी.डी. या नकद रूप में एक मुश्त राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। तथा उससे निचले बोलीदाता को प्रथम बोलीदाता द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली पर ही यदि वह लेने को सहमत हो तो सहमति पत्र के आधार पर ठेका दिया जाएगा। द्वितीय नं० के बोलीदाता को बोली की समस्त राशि रैड कास कार्यालय द्वारा पत्र जारी उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर (बैंक/कार्यालय अवकाश को छोड़कर) नकद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। उपरोक्त अनुसार प्रथम या द्वितीय जो भी बोलीदाता सफल रूप से राशि जमा करवाता है तो उसकी जमा करवाई गई धरोहर/सिक्योरिटी राशि को उसकी कुल राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 4 नीलामी अधिकारी को बिना कोई कारण बताएं बोली को रद्द करने का पूर्ण हक होगा।
- 5 वाहन पार्किंग का ठेका उपायुक्त एंव प्रधान महोदय से प्राप्त स्वीकृति पश्चात ही मान्य होगा।
- 6 वाहन पार्किंग परिसर में वाहन को होने वाली किसी भी प्रकार क्षति/चोरी की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 7 वाहन चार्ज दूपहिया वाहन 10/-रु0, चार पहिया वाहन 20/-रु0 व इससे अधिक के लिए 50/-रु0 (Including GST)की दर से पार्किंग शूल्क प्रतिदिन लिया जाएगा।
- 8 नम्बरदार, चौकीदार तथा सरकारी कर्मचारियों के आई.डी. पर वाहन निःशुल्क खड़े किये जाएंगे।
- 9 सभी बोलीदाताओं को पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की प्रति व पंजीकृत व्यान हल्किया की उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई केस विचाराधीन है और ना ही कोई एफ.आई.आर. दर्ज है, की प्रति ई-आक्षण का वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी तथा सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि जमा करवाते समय आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रति भी जमा करवानी होगी।
- 10 नीलामी अधिकारी को किसी भी समय पार्किंग का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 11 सरकार द्वारा किसी भी समय पोलिसी बदलाव से होने वाले लाभ व हानि कि पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। संस्था द्वारा इसमें किसी प्रकार की राशि को जोड़ा व घटाया नहीं जाएगा।
- 12 ठेकेदार को अपने द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की पुलिस वैरिफिकेशन करवाकर रैड कास कार्यालय में जमा करवानी होगी तत्पश्चात प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ही कर्मचारी नियुक्त करके आई. कार्ड जारी करने

Balwan Singh

- होगे। बिना आई. कार्ड पाए गए कर्मचारी/व्यक्ति पर कार्यवाही करने का पूरा अधिकार प्रशासन/रैड कास को होगा।
- 13 पार्किंग सम्बन्धित तार, बाड़, इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी तथा पार्किंग स्थल पर वाहन अनुसार सांकेतिक बोर्ड लगाने होगे।
 - 14 जिला शाखा/प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी समय पार्किंग का औचक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
 - 15 उपरोक्त अनुसार यदि पार्किंग समय में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अपने दस्तावेज/आई.डी. प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं इसे शर्तों की अवहेलना माना जाएगा।
 - 16 पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश द्वावार के लिए अधिकृत किए गए सभी प्रवेश द्वावार के माध्यम में प्रवेश वैध रहेगा एंव वैध सभी प्रवेश द्वावारों पर अधिकृत ठेकेदार का कर्मचारी उपलब्ध रहेगा।
 - 17 उपरोक्त पार्किंग क्षेत्र पर सी.सी.टी.वी. कैमरे की निगरानी 24 घण्टे सुनिश्चित करनी होगी एंव कम से कम 30 दिनों का डाटा प्रशासन/संस्था द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा।
 - 18 पार्किंग में प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित रेट प्रवेश/निकास द्वावार पर 3x6 के बड़े साईज के बोर्ड पर अंकित करने होगे।
 - 19 सफल बोलीदाता को रैड कास के साथ अनुबंध करना होगा।
 - 20 यदि सफल बोलीदाता/ठेकेदार की वजह से किसी भी कारण से अनुबंध रद्द होता है तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी जो किसी भी सूरत में वापिस देय नहीं होगी। साथ ही यदि ठेकेदार कार्य अवधि पूर्ण होने से पूर्व कार्य छोड़ता है तो भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी जो किसी भी सूरत में वापिस देय नहीं होगी।
 - 21 जिला रैड कास सोसायटी, नारनौल को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए 15 दिनों के नोटिस पर ठेकेदार से अनुबंध रद्द/पार्किंग कार्य बंद करवा सकती है।
 - 22 सफल बोलीदाता को शपथ पत्र देना होगा कि सम्बन्धित कार्य वह स्वयं करेगा तथा किसी अन्य को सबलेट नहीं करेगा और यदि इसकी पालना नहीं की जाती है तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा।
 - 23 किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिती में कार्य बन्द होने पर कोई ना ही छुट दी जाएगी और ना ही जमा राशि रिफंड की जाएगी।
 - 24 ठेकेदार को बिजली, पानी का अलग से सबमीटर लगवाना होगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से प्रति तिमाही बिल भरना होगा। साथ ही ठेकेदार जरनेटर से बिजली प्रयोग नहीं करेगा।
 - 25 बोलीदाता को बोली न्यूनतम 5,000/- रुपए बढ़ाकर बोली लगानी होगी।
 - 26 आनेलाईन बोली दिनांक 30-01-2025 को प्रातः 10:00 बजे शुरू होगी व सायः 03:00 बजे तक चलेगी। अगर आखिरी 5 मिनट में बोली लग जाती है तो बोली का समय 10 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
 - 27 अन्य शर्त नीलामी अधिकारी की आज्ञा अनुसार।
 - 28 माननीय उपायुक्त एंव प्रधान महोदय, जिला रैड कास सोसायटी, नारनौल को किसी भी समय अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए उपरोक्त शर्तों में बदलाव कर सकते हैं तथा बोली भी रद्द कर सकते हैं।


 Secretary
 Indian Red Cross Society
 Distt. Branch Narnaul